राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812, ई–मेलः– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / राज्य सम. / SSB Meeting / 2022 / 50 दिनांक : 01 फरवरी 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.01.2022 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस / बैठक पदेन अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की उपस्थिति में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो एवं प्रयासों के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा आइटम्स पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 30.07.2021 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा प्रस्तुत की गई पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
2. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी) द्वारा बोर्ड को अवगत करवाया गया कि कैलेण्डर वर्ष 2021 में राज्य में पंजीकृत समस्त सोनोग्राफी संस्थानों के 2246 निरीक्षण किये गये परन्तु 681 सोनोग्राफी संस्थान ऐसे है जिनका वर्ष 2021 में एक बार भी उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। पीसीपीएनडीटी नियम,1996 के नियम 18(क)(8)(i) के अनुसार समुचित प्राधिकारी सभी रजिस्ट्रीकृत प्रसुविधाओं का प्रत्येक नब्बे दिन में एक बार नियमित निरीक्षण करेगें। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी समुचित प्राधिकारी सोनोग्राफी संस्थानों का पीसीपीएनडीटी नियम,1994 के अनुसार समुचित निरीक्षण करें जिससे पीसीपीएनडीटी अधिनियम,1994 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही राज्य में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों के निरीक्षण हेतु एक विशेष अभियान आयोजित किया जावे जिसमें सर्वप्रथम ऐसे सोनोग्राफी संस्थानों का निरीक्षण किया जावे जिनका वर्ष 2021 में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है। वर्ष 2021 में कम निरीक्षण करने वाले उपखण्ड समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये जावें।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य स्तर पर राज्य निरीक्षण दल(एसआईटी) गठित करके जिलों में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों का औचक निरीक्षण भी करवाया जावे। ठीक इसी प्रकार एक जिले में गठित निरीक्षण दल से किसी अन्य जिले में

स्थित सोनोग्राफी संस्थानों का निरीक्षण करवाया जावे ताकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

4. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी) द्वारा बोर्ड को अवगत करवाया गया कि सम्पुर्ण राज्य में "Survey and mapping of ultrasound Clinic under PCPNDT Act, 1994 & Mapping of District/Block/Village with low Sex Ratio." का कार्य राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान(SIHFW) द्वारा करवाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निदेशक(SIHFW) ने बताया कि सर्वे का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है व जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक(SIHFW) को यह कार्य 25 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश प्रदान किये गये।

5. बोर्ड को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम,1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुल 289 उपखण्ड समुचित प्राधिकारीयों को अधिसूचित किया गया है जो कि उपखण्ड स्तर पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड में हुई चर्चानुसार निर्देश दिये गये कि राज्य में उपखण्ड समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) के अधिकार सम्बन्धित नियुक्त चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को भी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेशों का अवलोकन कर समीक्षा कर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित करें।

6. अति. पुलिस अधीक्षक(पीसीपीएनडीटी) द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य में अब तक कुल 161 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके है। वर्ष 2021 में कुल 06 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं। अब तक कुल 05 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्धी प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड में हुई चर्चानुसार निर्देश दिये गये कि राज्य में मुखबिर योजना के माध्यम से अधिक से अधिक डिकॉय कार्यवाही की जावे ताकि इस घृणित कार्य में लिप्त लोगों में कानून का भय व्याप्त रहे और भ्रूण लिंग परीक्षण जैसे कुकृत्य को रोका जा सके व बेटियों को बचाया जा सके। साथ ही ये भी निर्देश दिये कि माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी व मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जा सके।

7. माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि जिला स्तर पर सोनोग्राफी संस्थानों के पंजीयन से प्राप्त राशि का उपयोग जिला परिषद्, पंचायत समिति व अन्य पंचायतीराज संस्थान/स्थानीय निकाय की बैठकों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994, मुखबिर योजना, भ्रूण लिंग परीक्षण न करने आदि का प्रचार प्रसार हेतु किया जावे। साथ ही सदृश्य एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर होर्डिंग्स/फ्लेक्स लगायें जावे ताकि उक्त कानून व मुखबिर योजना के बारे में अधिकाधिक लोगों को जानकारी हो सके।

8. माननीय बोर्ड को अवगत करवाया गया कि PCPNDT Act की मॉनिटरिंग हेतु **IMPACT** Software(**I**ntegrated **S**ystem for **M**onitoring of **PCPNDT Act**,1994) पर सम्पुर्ण राज्य में प्रतिदिन दस हजार गर्भवती महिलाओं का फॉर्म एफ से सम्बन्धित डाटा अपलोड किया जाता है और एक निर्धारित दायरे में आने वाली गर्भवती महिलाओं का डाटा विश्लेषण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं के डाटा का विश्लेषण प्रतिमाह किया जाये और डाटा विश्लेषण के पश्चात् संदिग्ध सोनोग्राफी संस्थानों का चिन्हीकरण किया जावे। साथ ही ऐसे जिलों एवं उपखण्डों का भी चिन्हीकरण किया जावे जहां पर भ्रूण लिंग परीक्षण की संभावना

बनी रहती है। ऐसे संस्थानों एवं स्थानों पर डिकॉय कार्यवाही की जाकर भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ा जावे।

9. माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि एमआरआई केन्द्रों का पंजीयन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जावे।

10. माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि आगामी समय में सक्षमता आधारित परीक्षा का आयोजन भी समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

➢ बैठक का समापन मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय द्वारा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

➢ आगामी बैठक अधिनियमानुसार आगामी चार माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

31.01.2022

अतिरिक्त निदेशक (प0क0) एवं
सदस्य सचिव,
राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड(पीसीपीएनडीटी),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, गांव परानियां तहसील किशनगढ जिला बारां, एन–39, गांधी नगर, जयपुर राजस्थान **(nirmlasahariya88@gmail.com)**
5. श्रीमती मन्जू देवी, माननीय विधायक, इण्डियन पब्लिक स्कूल के पीछे, बाईपास रोड, जायल, जिला नागौर, राजस्थान **(omprakash941336@gmail.com)**
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
8. निजी सचिव शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email:- adc.wcd@rajasthan.gov.in) (Email:- director.wcd@rajasthan.gov.in)**
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email:- dir.ayu@rajasthan.gov.in) (Email:- addldir.ayu@rajasthan.gov.in)**
10. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, मिशन निदेशक(एनएचएम) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, जिला समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
13. श्री बी.एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर। **(Email:- rajmedcouncil@yahoo.co.in)**

15. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सहायक, निदेशक(आरसीएच) एवं निदेशक(परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
17. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर। (Email:- amitakashyap1@gmail.com)
18. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
19. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, समस्त जोन राजस्थान।
20. जिला नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त राजस्थान।
21. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी), समस्त उपखण्ड राजस्थान।
22. डॉ० एस.एल. शर्मा, सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान विभाग, ई–3, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर(Email :- drsls14@hotmail.com)
23. श्री एस.पी. दाधीच, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
24. डॉ. पायल भारद्वाज, महिला कार्यकर्ता, राजस्थान जयपुर। पताः– 7/58, एनईबी हाउसिंग बोर्ड जिला अलवर, राजस्थान। (Email:-dr.payalbhardwaj@gmail.com)
25. मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 396, उद्योग नगर निवारू रोड, झोटवाडा, राजस्थान जयपुर (Email :- manjusharma3041@gmail.com)
26. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, मैक्सवेल हॉस्पिटल झोटवाडा रोड दूध मण्डी चौराहा, राजस्थान जयपुर (Email :- apmat87@gmail.com)
27. डॉ. इन्दू गौतम, सहायक आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, जनाना हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर (Email :- indug75@gmail.com, mrc.jaipur@hotmail.com)
28. डॉ. विवेक शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर। पताः– 1/1291, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। (Email :- dr.vivek_sharma@rediffmail.com)
29. डॉ. एम. एल. गुप्ता, आनुवांशिकी विज्ञानी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर ((Email :- drmlguptajpr@yahoo.com, pediatricemedicinesms@gmail.com)
30. डॉ. राजीव आहूजा, रेडियोलॉजिस्ट, 37 लक्ष्मण पथ श्याम नगर, सोडाला, राजस्थान जयपुर (Email :- drrajivahuja@rediffmail.com)
31. डॉ. मनोज कुमार जैन, सोनोलॉजिस्ट, राजस्थान जयपुर।
32. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
33. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
34. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
35. श्री गौरिश वशिष्ठ, वैज्ञानिक–सी एनआईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
36. स्टेट डेमोग्राफर एवं मुल्यांकन अधिकारी, डेमोग्राफर सेल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
37. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/राज्य समन्वयक/विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/एसएम एण्ड ईओ पीसीपीएनडीटी एवं सलाहकार आईईसी/ सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
38. जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, समस्त राजस्थान।
39. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
40. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
Tel. 0141-2229108, spm_raj.nrhm@yahoo.com/asst_spm.nrhm@yahoo.co.in

अनौपचारिक टिप्पणी

विषयः— विभागीय वेबसाइट पर ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर अद्यतन करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायः यह देखा गया है कि IT/SPM Cell द्वारा आपको ईमेल करने पर कईबार ईमेल नहीं मिल पाती है। उक्त सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह ज्ञात हुआ है कि IT/SPM Cell में एक अधिकारी/सलाहकार का एक से अधिक ईमेल आईडी दर्ज है जिससे यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि सही ईमेल आईडी कोनसी है तथा यह भी देखा गया है कि आपके द्वारा स्वयं के स्तर पर ईमेल आईडी बदल लिया जाता है परन्तु इसकी सूचना IT Cell को नहीं दिया जाता है, ना ही वेबसाईट पर अपडेट करवाया जाता है। अतः आप सभी को लेख है कि IT Cell द्वारा तैयार किये गये Google Form पर लिंक (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1_b5FqX1K8TEYrf1oZebSn316fLoxN0jZChbGaUJmMTiPlg/viewform?usp=sf_link) जो ईमेल पर उपलब्ध है, इसके माध्यम से अपना—अपना वर्तमान कार्यालय ईमेल आईडी तथा मोबाईल नम्बर को दिनांक 20.12.2021 तक अद्यतन करें तथा भविष्य में अगर ईमेल आईडी में बदलाव करना है तो उचित Justification के साथ पत्रावली प्रस्तुत कर मिशन निदेशक, एनएचएम से अनुमति पश्चात ही बदलाव करें तथा उसकी सूचना आवश्यक रूप से SNO-IT को अवगत करावें ताकि ईमेल आईडी का संधारण सही रूप से किया जा सके। इसी क्रम में SNO-IT को लेख है कि उक्त ईमेल आईडियों का ग्रुप आईडी बनाकर सम्बन्धित Cell को भी उपलब्ध करावें।

(signature)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
एनएचएम

निदेशक (वित्त)—एनएचएम।
मुख्य अभियन्ता—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
अति0 निदेशक—अस्पताल प्रशासन/ग्रामीण स्वास्थ्य।
संयुक्त निदेशक—योजना।
परियोजना निदेशक—मातृ स्वास्थ्य/टीकाकरण/प.क./पीसीपीएनडीटी/शिशु स्वास्थ्य/आरबीएसके/आरकेएसके।
राज्य नोडल अधिकारी—समस्त एनएचएम/एनयूएचएम/राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य कार्यक्रम समस्त।
नोडल अधिकारी/सलाहकार—समस्त एनएचएम/एनयूएचएम।
एसओ—एचआर।
कार्यक्रम अधिकारी—समस्त।

mail 17/12/21

क्रमांकः— एफ2(18)एनएचएम/एसपीएम/2021/1401 दिनांक : 17.12.2021

प्रतिलिपिः—

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चि0 स्वा0 एवं मिशन निदेशक—एनएचएम।
2. निजी सहायक, अति0 मिशन निदेशक—एनएचएम।
3. निजी सहायक, निदेशक—जन स्वास्थ्य।
4. निजी सहायक, निदेशक—आरसीएच।
5. निजी सहायक, निदेशक (वित्त)—एनएचएम।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक—एनएचएम।
7. निजी सहायक, विशेषाधिकारी—एनएचएम।
8. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
9. सलाहकार—आईटी को ईमेल हेतु।

(signature)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
एनएचएम